<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **अजय शुक्ला,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या : 26 / 2013

सी.आई.एसं. संख्या : 1230 / 2014

श्रीमती भंवरीबाई बनाम जगदीश व अन्य

<u>प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं.</u>

उपस्थितः–

1. श्री विनय सक्सेना, प्रार्थीया / वादिया के विद्वान अधिवक्ता,
2. श्री रमेश जैन, अप्रार्थी / प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता।

<u>आदेश</u> दिनांक : 19.09.2025

1. इस आदेश के माध्यम से प्रार्थीया / वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 22.05.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थीया / वादिया की ओर से दिनांक 22.05.2025 को एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि बून्दी शहर में आजाद पार्क के पास कुऐं के सामने बाहरली बून्दी में पूर्व रूखी एक पक्का मकान स्थित है, जिसकी स्वामिनी श्रीमती मोत्या बाई थी, जिन्होंने उक्त मकान को अपने जीवनकाल में दिनांक 17.03.80 को वादिनी को वसीयत कर दिया। उक्त मकान के प्रथम ऊपरी मंजिल में बने तीन कमरे, लेट्रिन बाथरूम व ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का ताला लगाकर दिनांक 07.07.87 को प्रतिवादी जगदीश ने कब्जा कर लिया था, जिस पर कब्जा प्राप्त करने हेतु वादिनी ने प्रतिवादी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त मकान के धरातल में बने दो भण्डार थे, जिनको विशाल बाहेती एवं साधुमल सिंधी को किराये पर दिया हुआ था। उक्त दोनों व्यक्तियों ने उक्त भण्डारों को जगदीश को संभला दिया और इन दोनों भण्डारों पर कब्जा प्राप्त करने हेतु भी वादिनी द्वारा वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो इस वाद के साथ समेकित है। उक्त मकान के धरातल में बनी एक दुकान को लाला पुरूषोत्तम को शिवनारायण एवं मोत्याबाई ने किराये पर दिया हुआ था, उनके देहान्त के पश्चात् लाला पुरूषोत्तम वादिनी के किरायेदार हो गये थे और वादिनी ने किरायेदारी अधिनियम के तहत लाला

पुरूषोत्तम के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रतिवादी जगदीश भी पक्षकार था। उक्त वाद संख्या 2 / 2017 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बून्दी के यहां से दिनांक 12.03.2019 को निर्णीत हो गया। इस वाद के विचारण के दौरान ही वर्ष 2017 में लाला पुरूषोत्तम के कायम मुकाम ने वादग्रस्त दुकान का कब्जा जगदीश को संभला दिया था। अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बून्दी ने तनकी संख्या 01 में वादिनी को दुकान का स्वामी होना मानकर लाला पुरूषोत्तम एवं उनके उत्तराधिकारियों को किरायेदार माना, किन्तु दौराने वाद कब्जा जगदीश को संभला देने के कारण वाद को खारिज कर दिया।

3. इस प्रार्थना पत्र में आगे यह भी उल्लेखित है कि अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बून्दी के निर्णय दिनांक 12.03.2019 के विरूद्ध वादिनी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जो खारिज हो गई। इसी दुकान बाबत् प्रतिवादी जगदीश ने भी लाला पुरूषोत्तम के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया था, जो अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बून्दी द्वारा खारिज किया जा चुका है। उक्त मकान के धरातल में बनी दुकान, जिसको कि लाला पुरूषोत्तम को किराये पर दिया हुआ था, जिनके उत्तराधिकारियों ने वर्ष 2017 में उक्त दुकान का कब्जा प्रतिवादी जगदीश को संभला दिया। प्रतिवादी जगदीश का उक्त दुकान पर हक एवं अधिकार नहीं है। वादिनी उक्त दुकान पर भी कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इन तथ्यों को वादिनी चरण संख्या 08 ''अ'' के रूप में संशोधन करवाकर जुड़वाना चाहती है। वाद की प्रार्थना में उप चरण 04 में वाद पत्र की चरण क्रम 02 में वर्णित मकान के धरातल में बनी दुकान, जिसको कि लाला पुरूषोत्तम को किराये पर दिया हुआ था, प्रतिवादीगण का कब्जा हटाकर कब्जा वादिनी को सम्भलाये जाने का संशोधन करवाना चाहती है। अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा लाला पुरूषोत्तम को वादिनी का किरायेदार माना है और सन् 2017 में लाला पुरूषोत्तम के उत्तराधिकारियों ने कब्जा जगदीश को सुपुर्द कर दिया है, इस कारण वाद में एवं प्रार्थना में संशोधन करवाकर उक्त तथ्यों को जोड़ा जाना आवश्यक है। अन्त में वाद पत्र में संशोधन कर वाद पत्र की एक नई चरण संख्या 08 ''अ'' एवं प्रार्थना की उपचरण 04 में उक्तानुसार संशोधन करने का निवेदन किया गया है।

4. अप्रार्थी / प्रतिवादी की ओर से दिनांक 27.05.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद विषयक मकान के ऊपरी

मंजिल एवं भण्डारों का दावा करना तथा दावे समेकित होना स्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया कि वाद विषयक मकान का स्वामी व काबिज प्रतिवादी जगदीश है तथा उसका प्रारम्भ से कब्जा चला आ रहा है। भण्डारों को जगदीश ही किराये पर देता था तथा खाली भी जगदीश द्वारा कराये गये हैं। लाला पुरूषोत्तम, शिवनारायण व जगदीश का किरायेदार था तथा लाला पुरूषोत्तम के उत्तराधिकारियों से दुकान पर कब्जा भी जगदीश ने प्राप्त किया है। किरायेदारी अधिनियम के अन्तर्गत मकान के स्वामित्व का निर्णय नहीं किया जा सकता। भंवरी बाई का उक्त दुकान से कोई सम्बन्ध, अधिकार, हक एवं कब्जा नहीं है। वाद विषयक दुकान से बेदखली का दावा खारिज हो चुका है। दावा दिनांक 17.12.1997 से विचाराधीन है तथा बहस अंतिम में चल रहा है, इतने लम्बे समय बाद उक्त दुकान को शामिल कर बेदखली बाबत् संशोधन किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है तथा उक्त संशोधन से दावे के मूल स्वरूप में ही परिवर्तन हो जावेगा तथा दावा नये सिरे से चालू हो जावेगा। उक्त दुकान का कब्जा लेने का दावा मियाद बाहर हो चुका है, इस कारण उक्त संशोधन दावे में नहीं किया जा सकता। 28 वर्ष पश्चात् उक्त संशोधन स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। भंवरी बाई द्वारा भी 1983 से दुकान पर कब्जा जगदीश व जगदीश द्वारा किराया लेना माना है। अन्त में वादिनी का प्रार्थना पत्र खर्चे सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

5. बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिनी / वादिनी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहा गया संशोधन इस वाद के न्याय निर्णयन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन तथ्यों के सम्बन्ध में संशोधन चाहा गया है, वे पूर्व से ही वाद में विद्यमान हैं कि मोत्याबाई ने यह वादग्रस्त परिसर जरिये वसीयत वादिनी को दिया था, जिसका निर्णय हस्तगत दावे में गुणावगुण पर पक्षकारान की साक्ष्य के आधार पर किया जाना है और यह तथ्य पूर्व से ही इस दावे में समावेशित है। किसी नवीन तथ्य का समावेश इस संशोधन के माध्यम से नहीं किया जा रहा है और न ही इस चाहे गये संशोधन से वाद की प्रकृति में ही कोई परिवर्तन होना सम्भाव्य है और न ही अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दावा नये सिरे से प्रारम्भ हो जायेगा। उनका कहना है कि महज इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया

जा सकता कि चाहे गये संशोधन के तथ्यों की वादिनी को पूर्व से जानकारी थी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. इसके विपरीत अप्रार्थी / प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्को का विरोध करते हुये अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह व्यक्त किया कि हस्तगत वाद 17.12.1997 से विचाराधीन है तथा वर्तमान में बहस अंतिम के प्रक्रम पर विचाराधीन है, ऐसे में इतने लम्बे समय पश्चात् उक्त दुकान को शामिल कर बेदखली बाबत् संशोधन किया जाना निःसन्देह न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। उनका कहना है कि उक्त संशोधन से न केवल दावे के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जावेगा वरन् दावा नये सिरे से आरम्भ हो जावेगा। इसलिए लगभग 28 वर्ष पश्चात् उक्त संशोधन किया जाना किसी प्रकार न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थिनी / वादिनी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपने उक्त तर्को के समर्थन में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–1 नियम–10 के नोट–41 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुये निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये :–

1. ए.आई.आर. 2009 सुप्रीम कोर्ट 1433
   विद्या बाई व अन्य बनाम पदमालता व अन्य
2. आर.एल.आर. 2005(2) 77
   जय क्लिनिक एण्ड नर्सिंग होम बनाम बीना अग्रवाल
3. आर.एल.आर. 2004(3) 360
   हुसैन खान व अन्य बनाम अलानूर खान व अन्य
4. आर.एल.आर. 2002(3) 181
   सुन्दर दास बनाम कमिश्नर, एम.सी.किशनगढ़
5. आर.एल.आर. 2002(3) 300
   रतन सिंह व अन्य बनाम रामप्रसाद व अन्य

7. हमारे द्वारा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी / प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिनमें प्रतिपादित विधिव्यवस्था सुस्थापित है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया / वादिया द्वारा उक्त वाद अप्रार्थी / प्रतिवादी के विरूद्ध दिलाए जाने कब्जा मकान प्रस्तुत किया गया है तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से संशोधन करवाकर दुकान के सम्बन्ध में जिन

तथ्यों को वाद पत्र में चरण संख्या–8 'अ' एवं प्रार्थना के उप चरण संख्या–4 में सम्मिलित करवाये जाने निवेदन किया गया है, वे सम्पूर्ण तथ्य वाद के प्रारम्भ से अर्थात् वाद पत्र प्रस्तुत करने के समय से ही प्रार्थिनी / वादिया की जानकारी में रहे थे तथा वाद के विचारण के दौरान पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर प्रकट हुये कोई नवीन तथ्य होना परिलक्षित नहीं होता है। वर्तमान में पत्रावली उभय पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर विचारण पूर्ण करते हुये काफी लम्बे समय से बहस अन्तिम / राजीनामा के प्रक्रम पर चली आ रही है तथा न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में क्रम संख्या–2 पर सम्मिलित है। ऐसे में प्रकरण के इस प्रक्रम पर हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपेक्षित संशोधन किसी भी रूप में न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है वरन् महज प्रकरण में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना ही परिलक्षित होता है। अन्यथा भी विधिक रूप से प्रार्थिनी / वादिया का प्रार्थना–पत्र आदेश–6 नियम–17 मान्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोई नवीन तथ्य दावे के विचारण के दौरान उत्पन्न नहीं हुआ है, जिनके लिये वाद पत्र में संशोधन करना अपेक्षित रहा हो। हालांकि प्रार्थिनी / वादिया का इस सम्बन्ध में यह भी तर्क रहा है कि वह केवल उपरोक्त तथ्यों को दावे में समावेशित करवाना चाहती है तथा नये सिरे से अन्य कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहती है, लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी / वादिया को उक्तानुसार संशोधन के माध्यम से तथ्य जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है तो इससे न केवल वाद की मूल प्रकृति परिवर्तित हो जावेगी बल्कि प्रतिवादी के हितों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहेगी।

8. जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी / प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का प्रश्न है तो उक्त न्यायिक दृष्टान्त वांछित संशोधन से वाद की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन एवं परिसीमा अवधि से सम्बन्धित है, जिनके आधार पर वाद के इस प्रक्रम पर वांछित संशोधन के लिए अनुमति प्रदान किये जाने को उचित नहीं बताया गया है। हस्तगत दावे में भी प्रार्थिया / वादिया ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से उपरोक्त वर्णितानुसार जो संशोधन चाहे हैं, वह एक प्रकार से नवीन तथ्य हैं, ना कि अभिवचनों का संशोधन है तथा जो अभिवचनों में संशोधन की श्रेणी में नहीं आते हैं बल्कि नये तथ्यों का प्रतिस्थापन करने वाले हैं और यदि ऐसे

अभिवचनों को इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुज्ञात किया जाता है तो फिर यह वाद पुनः प्रारम्भ की स्थिति में चला जायेगा, जबकि हस्तगत दावे में सम्पूर्ण विचारण होकर पत्रावली राजीनामा / समझौते में नियत थी, जिसमें समझौता कार्यवाही के भी प्रयास करवाये गये, किन्तु वह विफल होने की सूचना आई है, फिर जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा चुका है कि इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थिया / वादिया ने जो उपरोक्त वर्णितानुसार संशोधन चाहे हैं, वह ऐसे तथ्य नहीं है, जिन्हें कि प्रार्थिया / वादिया पूर्ण सम्यक् रूप से एवं तत्परता से पूर्व में नहीं उठा सकती थी, बल्कि उपरोक्त तथ्य वाद प्रस्तुत करने के समय से प्रार्थिया / वादिया के संज्ञान में थे, इसलिए अप्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं, उनके प्रकाश में उपरोक्त वर्णितानुसार प्रार्थिया / वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

9. अतः प्रार्थिया / वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.05.2025 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अजय शुक्ला)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

10. आदेश आज दिनांक 19 सितम्बर, 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)